

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(1230)नवि/3/2011

दिनांक: 23 NOV 2012


आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सचिव,
नगर सुधार न्यास,
(समस्त)।

विषय:- जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास कर्मचारियों को रियायती दर पर आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड, प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कार्मिकों को आवंटित नहीं किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास कर्मचारियों को रियायती दर पर आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड, प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कार्मिकों को भी आवंटित किये जा रहे हैं, इस प्रकार की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हो रही हैं।

अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास कर्मचारियों को रियायती दर पर आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड, प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कार्मिकों को आवंटित नहीं किये जावे।


(गुरुदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास विभाग